



2026:AHC:43258-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 4302

मुस्तकीम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

आदित्य कुमार, गौरव पुंडीर

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:—
 - (i). एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को अपराध संख्या 0364 वर्ष 2025, थाना- फतेहपुर, जनपद- सहारनपुर में त्वरित, निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना करने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
 - (ii). एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को अपराध संख्या 0364 वर्ष 2025, थाना- फतेहपुर, जनपद- सहारनपुर की विवेचना में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 को सम्मिलित करने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
 - (iii). एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को अपराध संख्या 0364 वर्ष 2025, थाना- फतेहपुर, जनपद- सहारनपुर की विवेचना को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित समय के भीतर संपन्न करने का निर्देश दिया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
 - (iv). कोई ऐसा रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।
 - (v). याचिकाकर्ता को याचिका का वाद व्यय प्रदान किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. दिनांक 10.12.2025 को पंजीकृत की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

ज़फर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।